



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल - 462003



:-विज्ञापन :-

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा. / सेल-1/ 2022/268

भोपाल, दिनांक: 12-01-2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0 के अन्तर्गत संविदा आधार पर संविदा फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है यह अनुबंध 31 मार्च 2022 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
2	संविदा फिजियोथेरेपिस्ट	34	25,000 रुपये प्रतिमाह	<p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से Qualification: BPT/Bachelors in Occupational Therapy</p> <p>अनुभव Minimun 2 year of related experience of working in hospital म.प्र. पेरामेडिकल कार्डिनल मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य</p>	<p>21-40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निश्चक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2022 की स्थिति में)</p>

आवेदन सेम्स लिमिटेड के बेब पोर्टल www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक. 20/जनवरी/2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 20/ फरवरी/2022 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट की नियम पुस्तिका सेम्स लिमिटेड के बेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

संक	पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		निःशक्त जनों के लिये (6%)			
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	की एच	एचएच	ओडी	एमडी
1.	संविदा फिजियोथेरेपिस्ट	34	7	3	2	1	5	2	3	2	6	3	0	0	2	0

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (**Horizontal**) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- 3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।
- 4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को दिना कारण बताये स्वीकृत / निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

P.S.
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश